भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1173

उत्तर देने की तारीखः 03.12.2024

सारथी 1.0 पहल

1173. श्री शंकर लालवानीः
श्री अरुण भारतीः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के सहयोग से सरकार द्वारा की गई "सारथी 1.0" पहल का ब्यौरा क्या है;

(ख) सहयोग के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं तथा इससे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन किस हद तक सुनिश्चित होने की संभावना है;

(ग) क्या सारथी का शुभारंभ समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करते की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है;

(घ) क्या सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए एनएएलएसए के साथ सहयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए इस पहल के तहत क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सारथी 1.0 पहल सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के अनुरूप है और यदि हां, तो किन लक्ष्यों को संबोधित किया जा रहा है; और

(छ) क्या विविध साक्षरता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला विविध सेवा प्राधिकरणों के सहयोग में जमीनी स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करने की कोई योजना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (छ): सारथी 1.0 अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), भारत की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), सफाई कर्मचारियों, कचरा बीनने वालों, मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ितों और भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों सहित समाज के लाभवंचित

लाभवंचित और कमजोर व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। इस पहल के द्वारा इन समूहों के बीच कानूनी अधिकारों, कल्याणकारी अधिकारों और सरकारी स्कीमों के बारे में जागरूकता की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

इस पहल को समाज के कमजोर, लाभवंचित और दुर्बल वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रभावी संतुलन के लिए 'जागरूकता' और 'सहायता' के माध्यम से व्यक्तियों को 'सशक्त' करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस अभियान के तहत की गई गतिविधियाँ सामाजिक कल्याण योजनाओं और नीतियों पर महत्वपूर्ण जानकारी के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेंगी, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी में व्यक्तियों को लाभ और हक प्राप्त करने तथा अच्छी प्रथाओं का आदान-प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

इस अभियान का उद्देश्य 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए निरंतर विकास के 2030 के एजेंडा को आगे बढ़ाना है। विशेष रूप से यह लक्ष्य 01 को आगे बढ़ाना चाहता है जो सभी देशों में हर जगह गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करने का आह्वान करता है, और विशेष रूप से लक्ष्य 1.3 को आगे बढ़ाना चाहता है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और उपायों को लागू करना है। यह लक्ष्य 10 को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करता है जो देशों को अपने देश के भीतर और अन्य देशों में असमानता को कम करने का आह्वान करता है, और विशेष रूप से लक्ष्य 10.4 जो नीतियों, विशेष रूप से राजकोषीय, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा नीतियों को अपनाने और उतरोत्तर अधिक समानता प्राप्त करने का आह्वान करता है।

राज्यों, जिलों और तालुकों में नालसा का मौजूदा राष्ट्रव्यापी नेटवर्क समाज के लाभवंचित और कमजोर वर्गों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए जागरूकता शिविरों और सेमिनारों के आयोजन की सुविधा प्रदान करेगा।

*****